न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—224 / 2013 / 76 (2013 / 00153)

1. हनुमान पुत्र भंवरलाल डाडी मुसलमान, निवासी नोहरिया, तह0 किशनगढ़ जिला अजमेर ।
2. किशोर पुत्र भंवरलाल डाडी मुसलमान, निवासी नोहरिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. नायब तहसीलदार, किशनगढ, जिला अजमेर ।

रेस**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 4.6.2013 अपील संख्या 95 / 2012 .

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 .

निर्णय

दिनांकः—10.4.2019

1. यह अपील विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 4.6. 2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि संवत् 2069 में हनुमार व किशोर पुत्रगण भंवरलाल डाढी, जाति मुसलमान, नि0 ग्राम नोहरिया, तह0 किशनगढ ने ग्राम नोहरिया के सिवायचक आराजी खसरा नंबर 145 / 674 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से ज्वार काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है । इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायब तहसीलदार, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार, किशनगढ़ ने अतिक्रमियों के वरूद्ध प्रकरण संख्या 206 / 2012 पंजीकृत कर बाद विधिवत् सुनवाई के दिनांक 16.11.2012 को आदेश पारित किया । उक्त आदेशानुसार अतिक्रमियों की विवादित भूमि से बदेखली व शास्ति कायम की गई तथा मौके से खड़ी फसल जब्त कर नीलामी करने के साथ ही उन्हें पश्चात्वर्ती अतिचारी घोषित कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के आक्षेपित आदेश दिनांक 16.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में पेश की गई । विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 4.6.2013 द्वारा अपीलांट की प्रथम अपील को खारिज करने के आदेश

पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश न्याया, नियम एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपील पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज पासबुक जो कि अपीलांट के पिता भंवरलाल पुत्र हरजी के नाम अपीलाधीन भूमि की खातेदारी के संदर्भ में भू–प्रबधं विभाग अजमेर के द्वारा जारी किया गया है जो किन्तु अधी0न्याया0 ने इस पासबुक को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार, किशगनढ़ के द्वारा अपीलांटस को धारा 91 के अंतर्गत संयुक्त नोटिस जारी किया गया जो कि विधि के प्रतिकूल है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार अलग–अलग व्यक्ति के नाम धारा 91 का नोटिस जारी किया जाना चाहिये था इस कारण से भी अधी0न्याया0 के निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 या नायब तहसीलदार के समक्ष अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधी0न्याया0 की पत्रावली पर अपीलांटस के विरूद्ध पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत् ऐसा कोई प्रम3ाण नहीं था जिससे अपीलांटस पश्चात्वर्ती अतिक्रमी साबित हो इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार, किशगनढ़ के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस ही तामील नहीं करवाये गये एवं अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया तथा विवादित आराजी अपीलांटस की पुरातन खातेदारी होने बाबत् कोई जानकारी किये बिना अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर नायब तहसीलदार, किशनगढ़ का आदेश दिनांक 16.11.2012 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का आदेश दिनांक 4.6.2013 को अपास्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यु0 2013 (1) 427 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक है जिस पर बार–बार अपीलांटस द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । नायब तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा ग्राम नोहरिया तहसील किशनगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 145/674 रकबा 9–11–00 के संबंध में अपीलांटस के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुए अपीलांटस का अवैध कब्जा मानकर तीन माह के सिविल कारावास के आदेश दिये है परन्तु अपीलांटस द्वारा पूर्व में उपरोक्त भूमि पर धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 335/2011 दर्ज किया गया था परन्तु अपीलांटस को बेदखल कर दिया गया हो इस आशय की घटनाबही राजकीय पक्ष द्वारा पेश नहीं की गई है एवं न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य है । पश्चात्वर्ती अतिक्रमण को सिद्ध करने के लिये पूर्व में बेदखली के तहत घटनाबही महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिसके अभाव में सिविल कारावास के कठोर दण्ड से दण्डित नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस का यह

भी कथन रहा है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांटस के पिता भंवरलाल पुत्र हरजी की खातेदारी भूमि थी जो गलत तौर पर सरकारी दर्ज की गई इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के न्यायालय में नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार, किशनगढ़ पक्षकार है एवं नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन है । विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने भी उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांटस की प्रथम अपील को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय आंशिक रूप से संशोधित किये जाने योग्य पाये जाते है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 206/2012 एवं विद्वान अपर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपील संख्या 95/2012 में पारित आदेश दिनांक 4.6.2013 में आंशिक संशोधन किया जाकर तीन माह के सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाकर बेदखली एवं शास्ति संबंधी आदेश यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर